फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री खुमा — **विपक्षी : श्री काशीराम**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अ. — **पत्रावली संख्या : 164/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 06.12.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 8 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रतिवादी सं. 9 से 26 द्वारा जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर अपने हिस्से की घोषणा किये जाने का निवेदन कर वादी के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के पिता/दादा देवला उर्फ देवा के नाम दर्ज थी। देवला उर्फ देवा के वारिस भेरा, खेमा, तुलछा, खुमा व मोती हुए। देवला उर्फ देवा की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरकरण भेरा, खेमा व तुलछा के नाम दर्ज करवा ली। भेरा की मृत्यु के पश्चात् भूमि उसके वारिस कालु, तेजा, उंकार एवं ठाकु के नाम विरासत से दर्ज हुई उसके पश्चात् कालु की मृत्यु के पश्चात् भूमि उसके वारिस काशीराम, हीरालाल, लक्ष्मण, पुटकी एवं लेहरी के नाम विरासत से दर्ज हो गई। खेमा की मृत्यु के पश्चात् भूमि उसके वारिस गांगा, तारू, नोजा, रूपा, परथा, वसीबाई, लाली के नाम विरासत से दर्ज हुई। तुलछा की मृत्यु के पश्चात् भूमि उसके वारिस भुरालाल, हेमराज, नेता एवं लालीबाई के नाम विरासत से दर्ज हो गई। भुरालाल की मृत्यु के पश्चात् भूमि उसके वारिस मांगीलाल, उर्मिला, टिपू, प्रेमी, मीना, वसीबाई के नाम विरासत से दर्ज हो गई। नेता की मृत्यु के पश्चात् भूमि उसके वारिस रमेश, गोरधन, राकेश के नाम विरासत से दर्ज हो गई। वादीगण द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में अपने हिस्से की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वादपत्र के अवलोकन से वादी खुमा पिता देवला उर्फ देवा व तोलीराम पिता मोती पिता देवला उर्फ देवा वारिस होना जाहिर होता हैं। भूमि पूर्व में देवला उर्फ देवा पिता नानजी के नाम पर दर्ज थी जो जमाबन्दी से स्पष्ट होता हैं, इससे जाहिर होता है कि नामान्तरकरण खोलने में त्रुटि हुई है, जिसे सुधाराजाना आवश्यक हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति होने से उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से अधिकार निहित हैं। प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारात्मक जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर प्रतिवादी सं. 9 से 26 के हिस्से की घोषणा किये जाने का निवेदन कर वादीगण के वाद को स्वीकार किय[illegible]र सहमति व्यक्त की। अतः उक्त भूमि में [illegible] की घोषणा कराने के अधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का प्रतिवाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:40:54 IST
Reason: SelfAttested

:: **आदेश** ::

परिणामस्वरूप वाद वादीगण व प्रतिवादीगण का प्रतिवाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 2910, 300, 301, 335 से 341, 343 से 345 किता 13 रकबा 0.8579 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4, 6 से 24, 26 व खातेदार लेहरी के हिस्से में से वादी खुमा व तोलीराम को 1/5–1/5 हिस्से, आराजी नम्बर 288 से 290, 2905 से 2909, 291, 2911 से 2915, 292, 293, 298 किता 17 रकबा 2.0154 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4, 6, 7, 8 व खातेदार लेहरी के हिस्से में से वादी खुमा व तोलीराम को 1/5–1/5 हिस्से एवं आराजी नम्बर 302 रकबा 0.0405 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 6 से 8 व खातेदार कालु, खेमा व तुलछा के हिस्से में से वादी खुमा व तोलीराम को 1/5–1/5 हिस्से का एवं आराजी नम्बर 288 से 290, 2905 से 2909, 291, 2911 से 2915, 292, 293, 298 किता 17 रकबा 2.0154 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4, 6 से 8 व खातेदार लेहरी के हिस्से में से प्रतिवादी सं. 9 से 15 को संयुक्त रूप से 1/5 व प्रतिवादी सं. 16 से 26 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:40:54 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 164/21 (वाद) GCMS No. : 2021/336

उनवान

1. श्री खुमा पिता देवा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
2. श्री तोलीराम पिता मोती भील निवासी मांगथला तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री काशीराम पिता कालु भील निवासी मांगथला तह. मावली।
2. श्री हीरालाल पिता कालु भील निवासी मांगथला तह. मावली।
3. श्री लक्ष्मण पिता कालु भील निवासी मांगथला तह. मावली।
4. श्रीमती पुटकी पुत्री कालु पत्नी भगा भील निवासी ओडवाडिया तह. मावली।
5. श्री ओमप्रकाश माता लेहरी (पिता नानालाल) भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
6. श्री तेजा पिता भेरा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
7. श्री उंकार पिता भेरा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
8. श्री ठाकु पिता भेरा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
9. श्री गांगा पिता खेमा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
10. श्री तारू पिता खेमा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
11. श्री नोजा पिता खेमा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
12. श्री रूपा पिता खेमा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
13. श्री परथा पिता खेमा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
14. श्रीमती वसीबाई पुत्री खेमा पत्नी नारू भील निवासी भारोडी तह. मावली।
15. श्रीमती लाली पत्नी खेमा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
16. श्री मांगीलाल पिता भुरालाल भील निवासी मांगथला तह. मावली।
17. उर्मिला पुत्री भुरालाल भील निवासी मांगथला तह. मावली।
18. टिपु पुत्री भुरालाल भील निवासी मांगथला तह. मावली।
19. प्रेमी पुत्री भुरालाल भील निवासी मांगथला तह. मावली।
20. मीना पुत्री भुरालाल भील निवासी मांगथला तह. मावली।
21. श्रीमती वसीबाई पत्नी भुरालाल भील निवासी मांगथला तह. मावली।
22. श्री हेमराज पिता तुलछा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
23. श्री राकेश पिता नेता भील निवासी मांगथला तह. मावली।
24. श्री गोरधन पिता नेता भील निवासी मांगथला तह. मावली।
25. श्री रमेश पिता नेता भील निवासी मांगथला तह. मावली।
26. श्रीमती लालीबाई पत्नी तुलसा भील निवासी मांगथला तह. मावली।
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।
28. पटवारी, पटवार हल्का मांगथला तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:40:54 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण व प्रतिवादीगण का प्रतिवाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 2910, 300, 301, 335 से 341, 343 से 345 किता 13 रकबा 0.8579 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4, 6 से 24, 26 व खातेदार लेहरी के हिस्से में से वादी खुमा व तोलीराम को 1/5–1/5 हिस्से, आराजी नम्बर 288 से 290, 2905 से 2909, 291, 2911 से 2915, 292, 293, 298 किता 17 रकबा 2.0154 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4, 6, 7, 8 व खातेदार लेहरी के हिस्से में से वादी खुमा व तोलीराम को 1/5–1/5 हिस्से एवं आराजी नम्बर 302 रकबा 0.0405 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 6 से 8 व खातेदार कालु, खेमा व तुलछा के हिस्से में से वादी खुमा व तोलीराम को 1/5–1/5 हिस्से का एवं आराजी नम्बर 288 से 290, 2905 से 2909, 291, 2911 से 2915, 292, 293, 298 किता 17 रकबा 2.0154 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4, 6 से 8 व खातेदार लेहरी के हिस्से में से प्रतिवादी सं. 9 से 15 को संयुक्त रूप से 1/5 व प्रतिवादी सं. 16 से 26 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.12.2022 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:40:54 IST
Reason: SelfAttested